आ. एन. 35646/79
Regd. No. TECH/47-290/MBI-2003-05
लाइसेंस संख्या 24 - बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए. भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

282
जनवरी
2003

बैंकिंग

सूखे से प्रभावित किसानों को राहत

ब्याज को एकबारगी माफ करना

सूखे से प्रभावित राज्यों में किसानों की कठिनाइयों को और कम करने के लिए, भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि खरीफ ऋणों के ब्याज की पहले वर्ष की आस्थगित देयता को एकबारगी उपाय के रूप में पूरी तरह से छूट दी जाए। ऐसे किसान, जिन्होंने खरीफ फसल ऋण लिये हैं, ऋणदाता बैंक से सीधे ही इस छूट को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

अतएव, रिज़र्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि वे चालू वित्तीय वर्ष में देय ब्याज आस्थगित करें। यह आस्थगन इस प्रकार किया जाये कि ब्याज चुकौती की पहली किस्त आस्थगित ब्याज का 20 प्रतिशत हो। भारत सरकार बैंकों द्वारा आस्थगित ब्याज में छूट वाली किस्त की प्रतिपूर्ति करेगी और यह सभी किसानों के मामले में लागू होगी। बैंक आस्थगित ब्याज की शेष राशि उसके बाद यथोचित किस्तों में वसूल करें। इस बात पर जोर दिया जाता है कि आस्थगित ब्याज पर कोई ब्याज वसूल न किया जाए। प्रतिपूर्ति की पद्धति भारत सरकार के साथ परामर्श कर यथासमय बैंकों को सूचित की जाएगी।

अन्य राहत उपाय

बैंकों को नवंबर 2002 में सूचित किया गया था कि -

(i) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खरीफ फसल ऋणों के संबंध में मूलधन या ब्याज के रूप में कोई राशि वसूल न करें।

(ii) फसल ऋण के मूलधन की राशि को मीयादी ऋण में परिवर्तित किया जाए तथा उसकी वसूली छोटे और सीमांत किसानों से न्यूनतम पांच वर्ष में तथा अन्य किसानों से चार वर्ष में की जाए।

(iii) चालू वित्तीय वर्ष में फसल ऋण पर देय ब्याज आस्थगित करें और आस्थगित ब्याज पर ब्याज न लगाएं।

विवेकशील मानदण्ड

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह भी सूचित किया है कि ऋण परिवर्तन के इस तरह के मामलों में अथवा फसल ऋणों को मीयादी ऋणों में बदले जाने के मामलों में मीयादी ऋणों को चालू देयताओं के रूप में समझा जाये तथा इन्हें अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इन ऋणों का आस्ति वर्गीकरण संशोधित शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा और/या मूलधन की किस्त दो फसल मौसमों के लिए जो दो छमाहियों से अधिक नहीं हो, अदत्त बनी रहती है, तो अनर्जक आस्ति के रूप में माना जायेगा।

बचत बैंक खाते

न्यूनतम शेष राशि

रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि अब से बैंक न्यूनतम शेष राशि की अपेक्षा के बारे में ग्राहकों को खाता खोलते समय स्पष्ट रूप से बतायेंगे। इस संबंध में यदि भविष्य में कोई परिवर्तन हो तो उसकी जानकारी भी खातेदारों को दी जाये। यह जानकारी ग्राहकों को किस तरह दी जाये, इसका निर्णय बैंक स्वयं कर सकते हैं।

आपको याद होगा कि बचत बैंक खातों मे रखी जानेवाली न्यूनतम शेष राशि के संबंध में रिज़र्व बैंक के कोई दिशानिर्देश नहीं हैं। बैंक इस तरह के खातों को रखने और सेवा प्रदान करने की लागत को ध्यान में रखकर न्यूनतम शेष राशि का निर्धारण कर रहे हैं एवं यदि न्यूनतम शेष राशि नहीं रखी जाती है तो विशिष्ट प्रभार लगाते हैं।

बचत बैंक खाते खोलना

बैंक अब राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी अनुदानों/उपदान राशियों के संदर्भ में सरकारी विभागों/निकायों/एजेंसियों के नाम बचत बैंक खाते खोल सकते हैं। ये खाते संबंधित सरकारी विभागों से बैंक को एक प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने पर खोले जायें, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि संबंधित विभाग अथवा निकाय को बचत बैंक खाता खोलने की अनुमति दी गयी है। बैंकों को चाहिए कि वे राज्य सरकारों के संबंधित विभागों द्वारा जारी प्राधिकार पत्र की एक प्रति अपने अभिलेख के लिए रखें।

प्राथमिक क्षेत्र ऋणों के लिए सेवा प्रभार

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 25,000 रुपये तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों पर सेवा प्रभार/निरीक्षण प्रभार न लगायें। अलबत्ता, इस सीमा से ऊपर के ऋणों के संबंध में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को छूट है कि वे अपने निदेशक मण्डल के पूर्व अनुमोदन से सेवा प्रभार निर्धारित कर सकते हैं।

गैर-जमानती गारंटियों और अग्रिमों की सीमा

रिज़र्व बैंक ने सभी विदेशी बैंकों को सूचित किया है कि भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं द्वारा दिये गये जो गैर-जमानती अग्रिम उनकी विदेशी शाखाओं द्वारा समर्थित हैं, उन्हें गैर-जमानती गारंटियों और अग्रिमों की सीमा की गणना करने के प्रयोजन के लिए न गिना जाये।

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग	
सूखे से प्रभावित किसानों को राहत	1
बचत बैंक खाते	1
प्राथमिक क्षेत्र ऋणों के लिए सेवा प्रभार	1
गैर-जमानती गारंटियों और अग्रिमों की सीमा	1
8 प्रतिशत राहत बॉण्ड, 2002 पर अग्रिम मंजूर करने के संबंध में स्पष्टीकरण	2
नीति	
त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)	2
शहरी बैंक	
निदेशकों को अग्रिम	2
सेवा प्रभार लगाना	2
धोखाधड़ियों की रिपोर्ट करें	2
आरक्षित नकदी निधि	2
विदेशी मुद्रा प्रबंध	
ईसीबी निधियां विदेशों में रोके रखना	3
अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों और विदेशी राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों को उदार सुविधाएँ	3
एडीआर/जीडीआर की आय विदेशों में रखना	3
भारत के बाहर अचल संपत्ति का अर्जन	3
विदेशी निवेश	3
अग्रिम प्रेषण	3

नीति

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)

रिज़र्व बैंक ने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई योजना को अमल में लाने का निर्णय लिया है। प्रारंभ में यह योजना एक वर्ष के लिए अमल में लायी जायेगी और उसके बाद दिसंबर 2003 में इसकी समीक्षा की जायेगी। योजना को वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) और भारत सरकार के अनुमोदन पर तथा बैंकरों और अन्य व्यक्तियों से प्राप्त सुझावों पर गौर करके अंतिम रूप दे दिया गया है।

बैंकों को सूचित किया गया है कि इस योजना को अपने निदेशक-बोर्ड के समक्ष रखें और ऐसे आवश्यक कदम उठाएं जिससे यह सुनिश्चित हो कि उनका बैंक पीसीए रूपरेखा के भीतर नहीं आए। रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि पीसीए रूपरेखा में दी गयी सुधारात्मक कार्रवाई के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक यदि अन्य कोई कार्रवाई करना चाहे तो वह कर सकता है।

रिज़र्व बैंक ऐसे बैंकों के संबंध में कुछ संरचनात्मक कार्रवाई करेगा, जिन्होंने सीआरएआर, शुद्ध एनपीए तथा आरओए के बारे में ट्रिगर प्वाइंट्स पर आघात पहुंचाया है। रिज़र्व बैंक, अपने विवेकाधिकार से प्रत्येक ट्रिगर प्वाइंट में दिये गये अनुसार अतिरिक्त विवेकाधीन कार्रवाई करेगा। ट्रिगर प्वाइंट तथा संरचनात्मक और विवेकाधीन कार्रवाइयां पृष्ठ 4 पर दी गयी हैं।

शहरी बैंक

निदेशकों को अग्रिम

रिज़र्व बैंक ने सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और उन संस्थाओं को जिनमें उनका हित निहित है, दिये जाने वाले ऋणों और अग्रिमों की सकल उच्चतम सीमा को तत्काल प्रभाव से मांग व मीयादी देयताओं के 5 प्रतिशत तक लाया गया है। पहले की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत थी।

जिन बैंकों के ऐसे ऋणों का बकाया उनकी मांग व मीयादी देयताओं के 5 प्रतिशत से अधिक है उन्हें सूचित किया जाता है कि वे अपने निदेशकों को, उनके रिश्तेदारों को, और उन संस्थाओं को जिनमें उनका हित निहित है, कोई नये ऋण मंजूर न करें/मौजूदा सुविधाओं का नवीकरण न करें ताकि उन्हें शीघ्रातिशीघ्र लेकिन 31 मार्च 2003 से पूर्व 5 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अंदर लाया जा सके।

सेवा प्रभार लगाना

शहरी सहकारी बैंक अब विभिन्न सेवा प्रभार निर्धारित कर सकते हैं। तदनुसार, शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि विभिन्न प्रकार की सेवाओं, जैसे चेक की वसूली आदि, के लिए सेवा प्रभार निर्धारित करते समय वे यह सुनिश्चित करें कि प्रभार उचित हैं और ऐसी सेवाएं प्रदान करने की औसत लागत से हटकर नहीं हैं। शहरी सहकारी बैंक यह भी ध्यान रखें कि कम मात्रा में लेनदेन करने वाले ग्राहकों से ज्यादा प्रभार नहीं लिये जाते हैं। शहरी सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे अपने निदेशक मंडलों के पूर्व अनुमोदन से सेवा प्रभार तय करें।

धोखाधड़ियों की रिपोर्ट करें

रिज़र्व बैंक ने सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि बाहरी व्यक्तियों द्वारा स्वयं या बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से की गई बैंक धोखाधड़ी तथा स्वयं बैंक अधिकारियों द्वारा की गई बैंक धोखाधड़ी के मामलों की सूचना, अनिवार्य रूप से जांच एजेंसियों को दें। जहां यह निष्कर्ष निकाल लिया गया हो कि धोखाधड़ी की गयी है, यथोचित न्यायालय में आपराधिक मामले दायर किए जाने चाहिए।

बैंक निधियों की धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन, गबन, हड़पना, आदि संबंधी आवधिक रिपोर्टों से रिज़र्व बैंक ने यह पाया था कि इनमें लिप्त व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए प्राय: मामलों की सूचना तत्काल पुलिस को नहीं दी जाती है। यह भी पाया गया था कि कुछ बैंकों ने इस प्रकार के मामलों की सूचना पुलिस को रिज़र्व बैंक द्वारा संबंधित बैंक/बैंकों के साथ मामला उठाने के बाद ही दी थी। इसलिए रिज़र्व बैंक इस बात पर ज़ोर देता है कि यह आवश्यक है कि इन अपराधों की सूचना तत्काल संबंधित जांच एजेंसियों को दी जाए ताकि यह संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा अपने विरुद्ध अभियोजनीय साक्ष्य में फेर-बदल करने या उसे नष्ट करने की आशंका से बचा जा सके। रिज़र्व बैंक इस बात पर भी ज़ोर देता है कि चूंकि बैंक जनता की धनराशि के कस्टोडियन है, इसलिए जनता के धन का लेनदेन करने वाले बैंक कर्मचारियों से उच्च स्तर की ईमानदारी तथा नेक नीयति की अपेक्षा की जाती है। भले ही इस तरह के मामलों में राशि मामूली ही क्यों न हो और भले ही पूरी तरह से वसूल कर ली गयी हो।

आरक्षित नकदी निधि

शहरी सहकारी बैंकों को अपने अंतरावधिक नकदी प्रवाह के आधार पर आरक्षित निधि रखने की इष्टतम रणनीति का चयन करने में लचीलापन प्रदान करने के लिए दैनिक आधार पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात शेष के न्यूनतम 80 प्रतिशत की वर्तमान अपेक्षाओं को शिथिल करके 28 दिसंबर 2002 से प्रारंभ पखवाड़े से 70 प्रतिशत पर लाया गया है।

8 प्रतिशत राहत बॉण्ड, 2002 पर अग्रिम मंजूर करने के संबंध में स्पष्टीकरण

प्रश्न	स्पष्टीकरण
(क) क्या व्यक्तियों द्वारा धारित राहत बांड, यदि उन्हें संपार्श्विक जमानत के तौर पर रखा जाए, पर स्वामित्व/ साझेदारी/ कंपनियां इत्यादि ऋणों के लिए पात्र हैं ?	बैंक अपनी स्वयं की नीति के अनुसार अपना निर्णय ले सकते हैं।
(ख) क्या सभी बैंक की शाखाओं में इन बॉण्डों पर अग्रिम दिया जा सकता है ?	हां, बैंकों की सभी शाखाओं में इन बॉण्डों पर अग्रिम दिया जा सकता है।
(ग) क्या इन बॉण्डों पर अग्रिम दिए जाने के मामले में धारिता प्रमाणपत्र में बॉण्डधारक के नाम की जगह उधारदाता बैंक का नाम लिखा जाना चाहिए अथवा बॉण्ड जारीकर्ता बैंक की बहियों में इन बॉण्डों को उधारदाता बैंक के नाम करने संबंधी प्रविष्टि कर देना मात्र पर्याप्त है ?	किसी सरकारी प्रतिभूति के लिए, जिसमें बॉण्ड लेजर खाते भी सम्मिलित हैं, उधारदाता बैंक के नाम ग्रहणाधिकार लिखने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि उधारदाता बैंक सरकारी प्रतिभूति संपार्श्विक जमानत के तौर पर रखना चाहे तो उसे संबंधित प्रतिभूति का अंतरण अपने नाम में करवाना होगा।
(घ) उधारदाता बैंक के नाम में बॉण्डों का अंतरण होने पर उधारकर्ता द्वारा जारीकर्ता बैंक में बाद में किए गए निवेशों को हिसाब में कैसे लिया जाएगा ?	(i) संपूर्ण अंतरण के मामले में- बॉण्ड लेजर खाते को निरस्त या रद्द किया जाएगा और उधारदाता बैंक नए बॉण्ड खाते का धारक होगा। नए निवेशों, उधारकर्ता द्वारा यदि कोई किया गया हो, के लिए उधारकर्ता के नाम नया बॉण्ड लेजर खाता खोला जाएगा। (ii) आंशिक अंतरण के मामले में - उधारकर्ता के नाम का बॉण्ड लेजर खाता शेष जमाराशियों सहित चालू ही रहेगा और किए गए किसी भी अतिरिक्त निवेश को, यदि कोई हो, कार्यविधि ज्ञापन के अनुसार उसी बॉण्ड लेजर खाते में हिसाब में लिखा जाएगा।
(ङ) क्या बैंक अपने नाम अंतरित बॉण्डों की बिक्री सेकेन्डरी मार्केट में कर सकता है ?	कोई बैंक अपने नामे में संपार्श्विक के रूप में अंतरित बॉण्डों को सेकेंडरी बाजार में नहीं बेच सकता। अग्रिमों की चुकौती अथवा राहत बॉण्डों पर लिए गए अग्रिम/ऋण की चुकौती उधारकर्ता द्वारा न किए जाने की दशा में बैंक द्वारा परिपक्वता पूरी होने तक धारक बने रहने के मामले में प्रतिभूति का अंतरण केवल मूल धारक के नाम में किया जाएगा।
(च) क्या धारक को जारी किए गए गवर्मेंट प्रामिसरी नोट पर दिए गए ऋणों/अग्रिमों के पश्चात बैंक द्वारा जीपी नोटों को बॉण्ड लेजर खाता धारिता के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ?	एक रूप में जारी प्रतिभूति का परिवर्तन दूसरे रूप में करने की अनुमति नहीं है।

टिप्पणी: ऋण केवल राहत बॉण्डों पर ही दिये जा सकते हैं और न कि बचत बॉण्ड, 2002 पर।

विदेशी मुद्रा प्रबंध

ईसीबी निधियां विदेशों में रोके रखना

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) जुटाने वाले निगम अब अपनी भावी विदेशी मुद्रा ज़रूरतों के लिए अपनी निधियां विदेश में बैंक खाते में बनाये रख सकते हैं। इस तरह से निधियां रोके रखने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

(क) खाते में नामे राशियां केवल उन्हीं अनुमोदित प्रयोजनों के लिए होंगी जिनके लिए ऋण लिया गया है।

(ख) विदेशी आपूर्तिकर्ता को भुगतान, यदि कोई हो, लदान बिल/एयरवे बिल सहित सामान्य आयात दस्तावेजों पर किया जायेगा। भारत में किये गये आयातों के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा विधिवत सत्यापित ईसीबी2 विवरणों के साथ रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ग) विदेश में रखी गयी जमाराशि को भारत में किसी निधि आधारित अथवा गैर-निधि आधारित सुविधाओं के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता।

(घ) जैसे ही विदेशी मुद्रा अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं तो खाते को तत्काल बंद कर दिया जाता है और खर्च न की गयी राशि तत्काल भारत में वापिस लायी जाती है।

खाते के ब्यौरे (साफ्ट कॉपी के रूप में) खाता खोलने के आठ दिन के भीतर नीचे दर्शाये गये अनुसार प्राधिकारी व्यापारी के माध्यम से रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

(i) बैंक का नाम तथा शाखा; (ii) खाता खोलने की तारीख तथा खाता संख्या; (iii) उधारकर्ता का नाम; (iv) उधारदाता का नाम; (v) भारत सरकार/रिज़र्व बैंक की अनुमोदन संख्या तथा तारीख; (vi) रिज़र्व बैंक की पंजीकरण संख्या; (vii) ऋण का प्रयोजन; (viii) ऋण की राशि; (ix) अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि; (x) विदेश में शेष रखी गयी राशि।

ये रियायतें, समीक्षा के अधीन 30 जून 2003 तक लागू रहेंगी।

अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों और विदेशी राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों को उदार सुविधाएँ

प्राधिकृत व्यापारियों को इसके लिए अनुमति दी गयी है कि वे अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों को, प्रेषण करने वाले व्यक्ति से उस आशय का प्रमाण पत्र और वचनपत्र प्रस्तुत करने पर, उनके एनआरओ खातों में रखी निधियों की बिक्री आय से एक मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रत्यावर्तित करने की अनुमति दें।

अलबत्ता, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल और भूटान के नागरिकों को परिसंपत्ति के प्रत्यावर्तन पर प्रतिबंध है।

ये रियायतें समीक्षा के अधीन 30 जून 2003 तक की अवधि तक लागू हैं।

एडीआर/जीडीआर की आय विदेशों में रखना

भारतीय कंपनियों को अब इसकी अनुमति दी गयी है कि वे भविष्य की अपनी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एडीआर/जीडीआर के माध्यम से बनवायी गयी निधियां कितनी भी अवधि के लिए विदेश में बनाये रख सकते हैं। साथ ही, जुटाये गये विदेशी संसाधनों को वापिस लाये जाने या उनका उपयोग किये जाने तक भारतीय कंपनी विदेशी मुद्रा निधियों का निम्नलिखित में निवेश कर सकते हैं :

(क) ऐसे बैंकों द्वारा प्रस्तावित जमाराशियां या सीडी या अन्य उत्पाद, जिनका दर निर्धारण कम से कम एए (-) और पूअर/फिच आइबीसीए या एए3 मूडी है;

(ख) भारत स्थित प्राधिकृत व्यापारी की भारत के बाहर की शाखा में जमाराशियां; और

(ग) खजाना बिल और एक वर्षीय अवधि की अन्य मौद्रिक लिखतें जिनका उपर्युक्तानुसार न्यूनतम दर-निर्धारण हो।

कंपनियों को चाहिए कि वे विदेश में जुटायी गयी और रखी गयी ऐसी निधियों के ब्यौरे (फ्लॉपी में) निर्गम की समाप्ति की तारीख से 30 दिनों के अंदर मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय को दें।

भारत के बाहर अचल संपत्ति का अर्जन

जिन भारतीय कंपनियों ने विदेश में कार्यालय खोले हैं, वे अब रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अपने कारोबार के लिए साथ ही स्टाफ के आवास के लिए भारत के बाहर अचल संपत्ति की खरीद कर सकती हैं। भारतीय कंपनियां अपने प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से रिज़र्व बैंक को अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकती हैं।

यह रियायत समीक्षा के अधीन 30 जून 2003 तक प्रभावी होगी।

विदेशी निवेश

अब निवासियों को विदेशों में पंजीकृत कम्पनियों में इक्विटी निवेश की अनुमति है। निवेशों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निवेश मानदण्ड इस प्रकार हैं :

निगम : ऐसी सूचीबद्ध भारतीय कम्पनियां अब विदेशों में निम्नलिखित कम्पनियों में निवेश कर सकती हैं (क) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं तथा (ख) जिनकी भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी भारतीय कम्पनी में कम से कम 10 प्रतिशत की शेयरधारिता है (निवेश के पहले वर्ष की पहली जनवरी की स्थिति के अनुसार) अलबत्ता, इस तरह के निवेश, अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार भारतीय कम्पनी की शुद्ध मिल्कियत के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

अलग-अलग व्यक्ति : निवासी व्यक्ति बिना किसी मौद्रिक सीमा के ऊपर बतायी गयी विदेशी कम्पनियों में निवेश कर सकते हैं।

म्युचुअल फंड : म्युचुअल फंड भी ऊपर बताये गये अनुसार विदेशी कम्पनियों की इक्विटी में भी निवेश कर सकते हैं। विदेशी कम्पनियों में म्युचुअल फंड निवेशों की समग्र सीमा को एक बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है। तदनुसार, इस सुविधा का लाभ उठाने की इच्छुक म्युचुअल फंडों को चाहिए कि वे सेबी से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद रिज़र्व बैंक से सम्पर्क करें। वर्तमान में, म्युचुअल फंडों को, 500 मिलियन अमेरिकी डालर की अधिकतम सीमा के भीतर, भारतीय कम्पनियों तथा श्रेणीबद्ध (रेटेड) ऋण विलेखों के एडीआर/जीडीआर में निवेश करने की अनुमति है।

ये रियायतें निम्नलिखित शर्तों पर दी गयी हैं :

(क) सभी लेनदेन किसी पदनामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से किये जाने चाहिए तथा रुपया भुगतान निवेशक के बैंक खाते में से प्राप्त किये जाते हैं।

(ख) प्रेषणों की अनुमति देने से पहले प्राधिकृत व्यापारियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कम्पनियों, जिनमें इस तरह के निवेश किये जा रहे हैं, विदेश में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं तथा दूसरी तरफ इस तरह की कम्पनियों के भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी भारतीय कम्पनी की कम से कम 10 प्रतिशत की शेयरधारिता है।

(ग) प्राधिकृत व्यापारियों को चाहिए कि वे इस तरह के निवेशों के पूरे ब्यौरे उदाहरण के लिए, निवेशकों के नाम/पते, कम्पनियां, जिनमें निवेश किये जा रहे है तथा धारित प्रतिभूतियों के ब्यौरे आदि अपने पास रखें।

(घ) प्राधिकृत व्यापारियों को चाहिए कि वे मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, मुंबई को अनुवर्ती माह की 10 तारीख को या उससे पहले एक मासिक विवरण भेजें जिस में हर श्रेणियों में प्रेषण के लिए अनुमत /प्राप्त राशि तथा बकाया शुध्द निवेश सूचित किये गये हैं।

इससे पहले, निवासियों को संयुक्त उद्यमों या संपूर्ण स्वाधिकृत नियंत्रित कंपनियों को छोड़कर विदेश में पंजीकृत कंपनियों की ईक्विटी में निवेश की अनुमति नही थी।

अग्रिम प्रेषण

सेवाओं के आयात के लिए अग्रिम प्रेषण की सीमा को 25000 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 100,000 अमेरिकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य किया गया है। प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया है कि वे 100,000 अमेरिकी डॉलर तक सभी स्वीकार्य चालू खाता लेनदेनों के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना अग्रिम प्रेषण की अनुमति दें।

यदि अग्रिम राशि 100,000 अमेरिकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि से अधिक हो तो भारत से बाहर स्थित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के किसी बैंक की गारंटी अथवा भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी से, यदि यह गारंटी भारत से बाहर स्थित किसी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की बैंक की गारंटी के लिए काउंटर गारंटी के रूप में जारी की गयी हो तो समुद्रपारीय हिताधिकारी से गारंटी प्राप्त की जाए।

प्राधिकृत व्यापारियों को आगे यह भी सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करें कि हिताधिकारी द्वारा भारत में प्रेषक के साथ किये गए अग्रिम प्रेषण से संबंधित संविदा अथवा करार के अंतर्गत अपने दायित्व को पूरा किया जाता है और यदि वे ऐसा करने में असफल होते हैं तो राशि भारत में प्रत्यावर्तित की जाए।

इससे पहले, प्राधिकृत व्यापारियों को 25000 अमेरिकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य से अधिक चालू खाता लेनदेन से संबंधित अग्रिम प्रेषणों के लिए भारत से बाहर स्थित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के किसी बैंक की गारंटी अथवा यदि ऐसी गारंटी भारत से बाहर स्थित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के किसी बैंक की गारंटी पर काउंटर गारंटी जारी की गयी हो तो भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी से गारंटी लेनी पड़ती थी।

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 Regd. No. TECH/47-290/MBI-2003-05
29 जनवरी तथा 30 जनवरी 2003 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

ट्रिगर प्वाइंट	त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई	
	सीआरएआर : (i) 9 प्रतिशत से कम, किन्तु 6 प्रतिशत के बराबर अथवा उससे अधिक, (ii) 6 प्रतिशत से कम, किन्तु 3 प्रतिशत के बराबर अथवा उससे अधिक	(iii)3 प्रतिशत से कम शुद्ध एनपीए : (i) 10 प्रतिशत से अधिक किन्तु 15 प्रतिशत से कम, (ii) 15 प्रतिशत और उससे अधिक आरओए : 0.25 प्रतिशत से कम
	सीआरएआर पर आधारित कार्रवाइयां	
संरचनात्मक कार्रवाइयां	जब सीआरएआर 9 प्रतिशत से कम, किन्तु 6 प्रतिशत के बराबर अथवा उससे अधिक हो, तो बैंकों को चाहिए - • पूंजी प्रत्यावर्तन का प्रस्तुतीकरण और कार्यान्वयन • अपनी जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के विस्तार पर प्रतिबंध • नये कारोबार का प्रारंभ नहीं • महंगी जमा राशियों और सीडीज का स्वीकार/नवीकरण नहीं • लाभांश भुगतानों को कम करें/छोड़ दें जब सीआरएआर 6 प्रतिशत से कम, किन्तु 3 प्रतिशत के बराबर अथवा उससे अधिक हो, तो बैंकों को चाहिए- • पहले क्षेत्र के समान ही संरचनात्मक कार्रवाइयां • भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सुधारात्मक कार्य योजना पर विचार-विमर्श	• बैंक अपने अनुषंगियों में अपना स्टेक नहीं बढ़ाएगा • बैंक अपनी ऋण/निवेश रणनीति तथा नियंत्रणों को संशोधित करेगा • भारतीय रिज़र्व बैंक पुन:पूंजीकरण का आदेश देगा जब सीआरएआर 3 प्रतिशत से कम हो - • बैंकों को चाहिए कि वे पहले के क्षेत्र के समान ही संरचनात्मक कार्रवाइयां करें • भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्य-पद्धति का बारीकी से निरीक्षण करेगा • यदि बैंक एक वर्ष के भीतर अथवा स्वीकृत विस्तारित अवधि के भीतर 3 प्रतिशत के ऊपर सीआरएआर में कोई सुधार नहीं करता तो भारतीय रिज़र्व बैंक/सरकार बैंक को विलयन करने/सम्मिलित करने/परिसमाप्त करने के लिए कदम उठाएगा/उठाएगी
विवेकाधीन कार्रवाइयां	जब सीआरएआर 9 प्रतिशत से कम, किन्तु 6 प्रतिशत के बराबर अथवा उससे अधिक हो - • भारतीय रिज़र्व बैंक पुन:पूंजीकरण का आदेश देगा • बैंक अनुषंगियों में अपना स्टेक नहीं बढ़ायेंगे • बैंक, पूंजी बाजार, अचल संपत्ति अथवा गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अपने ऋण आदि जोखिम कम करेंगे • रिज़र्व बैंक अंतर बैंक बाजार से बैंक द्वारा लिए गए उधार पर प्रतिबंध लगाएगा • बैंक अपनी ऋण/निवेश रणनीति तथा नियंत्रणों को संशोधित करेगा	जब सीआरएआर 6 प्रतिशत से कम, किन्तु 3 प्रतिशत के बराबर अथवा उसके अधिक हो - • नया प्रबंध-तंत्र/बोर्ड लाने के लिए बैंक/सरकार को कदम उठाने होंगे • बैंक कारोबार/संगठनात्मक पुनर्विन्यास के लिए सलाहकार नियुक्त करेगा • प्रवर्तकों के परिवर्तन/मालिकाना के परिवर्तन के लिए बैंक/सरकार को कदम उठाने होंगे • यदि बैंक पुन:पूंजीकरण योजना प्रस्तुत/कार्यान्वयन करने में असफल रहता है अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर किसी आदेश के अनुसरण में पुन:पूंजीकरण करने में असफल रहता है तो भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक के विलयन के लिए कदम उठाएगा।
	शुद्ध एनपीए पर आधारित कार्रवाइयां	
संरचनात्मक कार्रवाइयां	यदि उनके शुद्ध एनपीए 10 प्रतिशत से अधिक किन्तु 15 प्रतिशत से कम हो तो बैंकों को चाहिए - • एनपीए के स्टॉक को कम करने तथा नए एनपीए के निर्माण को स्थिर करने के लिए विशेष अभियान चलाये • अपनी ऋण नीति की समीक्षा • ऋण मूल्यांकन कुशलता तथा प्रणालियों के ग्रेड को बढ़ाने के लिए कदम उठाये • बड़े ऋणों के लिए ऋण समीक्षा-तंत्र सहित अग्रिमों की अनुवर्ती कार्रवाई को मजबूत करे • वाद दाखिल/डिक्री प्राप्त ऋणों पर प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई • उचित ऋण-जोखिम प्रबंधन नीतियां/प्रक्रिया/ क्रियाविधि/विवेकपूर्ण सीमाओं को लागू करना • व्यक्ति, समूह, क्षेत्र, उद्योग आदि के ऋण संकेन्द्रीकरण को कम करे यदि उनके शुद्ध एनपीए 15 प्रतिशत और उससे अधिक हो तो बैंकों को चाहिए -	• पहले क्षेत्र के समान ही संरचनात्मक कार्रवाइयां करे • सुधारात्मक कार्य योजना पर भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ विचार-विमर्श • बैंक नए कारोबार में प्रवेश नहीं करेगा • बैंक लाभांश भुगतानों को कम करेगा/छोड़ देगा • बैंक अपने अनुषंगियों में अपने स्टेक नहीं बढ़ायेंगे।
विवेकाधीन कार्रवाइयां	• नये कारोबार में प्रवेश न करे • लाभांश भुगतानों को कम करे/छोड़ दे	• अपने अनुषंगियों में अपने स्टेक नहीं बढ़ाए
	आरओए पर आधारित कार्रवाइयां	
संरचनात्मक कार्रवाइयां	यदि आरओए 0.25 प्रतिशत से कम हो तो बैंकों को चाहिए - • महंगी जमा-राशियों और सीडीज को स्वीकार/नवीकृत न करे • शुल्क आधारित आय को बढ़ाने के लिए कदम उठाये • प्रशासनिक खर्चों को स्थिर करने के लिए कदम उठाये • एनपीएज के स्टॉक को कम करने तथा नये एनपीए उत्पादन को स्थिर	करने के लिए विशेष अभियान चलाये • नये कारोबार में प्रवेश न करे • लाभांश भुगतानों को कम करे/छोड़ दे • भारतीय रिज़र्व बैंक अंतर-बैंक बाजार से बैंक द्वारा लिए गए उधार प र प्रतिबंध लगाएगा
विवेकाधीन कार्रवाइयां	• बैंक प्रौद्योगिकी को उन्नत करने तथा बोर्ड की अनुमोदित सीमा के भीतर ऐसे आकस्मिक बदलाव करने के अलावा कोई पूंजीगत व्यय	नहीं करेगा। • बैंक अपने स्टाफ का विस्तार/रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं करेगा।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **प्रिंटराइट,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **वार्षिक शुल्क : 12 रुपये मात्र। ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन प्रभाग (बिक्री अनुभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इटरनेट www.cir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध।**